

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या पी०आर०-265/2018

समिति के उपाध्यक्ष (Vice Chairman) पद हेतु सेवारत (Working) / सेवानिवृत्त (Retired) पदाधिकारी के लिए वॉक-इन-इन्टरव्यू (Walk-in-interview) की सूचना

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना में उपाध्यक्ष (Vice Chairman) पद हेतु दिनांक 22.10.2018 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से समिति मुख्यालय, सिन्हा लाइब्रेरी रोड, पटना- 800017 में आयोजित Walk-in-Interview में आमंत्रित किया जाता है :-

क्र० सं०	पद का नाम	कुल रिक्ति एवं आरक्षण कोटि	वांछित अनुभव/अहर्ता	वेतन/मानदेय
1	उपाध्यक्ष (Vice Chairman)	01-GEN	1. किसी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा बिहार सरकार में सेवारत (Working) राजपत्रित पदाधिकारी (प्रतिनियुक्ति द्वारा) अथवा किसी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा बिहार सरकार से सेवानिवृत्त (Retired) राजपत्रित पदाधिकारी 2. All India Services (अखिल भारतीय सेवाएँ) यथा- IAS, IPS, IFS अथवा Central Services, Group (A) केन्द्रीय सेवाएँ (समूह 'क') यथा- IRS-IT, IRS-C&CE, IRTS, IRPS, IRAS, IAAS, IIS एवं अन्य Group (A) सेवाएँ के पदाधिकारी को प्राथमिकता दी जायेगी।	सेवारत (Working) पदाधिकारियों के मामले में- उनके अपने पैतृक विभाग में प्राप्त अंतिम वेतन के आधार पर वेतन का भुगतान किया जायेगा। सेवानिवृत्त (Retired) पदाधिकारियों के मामले में- मानदेय के रूप में उनका अंतिम प्राप्त वेतन में से पेंशन की राशि घटा कर शेष राशि देय होगी।

2. उपर्युक्त पद के संबंध में इच्छुक सेवारत (Working) अथवा सेवानिवृत्त पदाधिकारी (Retired), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (माध्यमिक प्रभाग), सिन्हा लाइब्रेरी रोड, पटना-800017 में दिनांक 22.10.2018 को 11:00 बजे पूर्वाह्न से वॉक-इन-इन्टरव्यू (Walk-in-Interview) में अपना बायो-डाटा/आवेदन पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल एवं स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित होंगे।

3. सेवारत (Working) पदाधिकारी के लिए

- उपर्युक्त पद पर प्रतिनियुक्ति के मामले में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा बिहार सरकार में सेवारत (Working) राजपत्रित पदाधिकारी को उनके पैतृक विभाग में प्राप्त होने वाला वेतन ही समिति द्वारा देय होगा। प्रतिनियुक्ति होने पर एक माह के अंदर अपने पैतृक विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर समिति में समर्पित करना अनिवार्य होगा। विशेष परिस्थिति में यह अवधि बढ़ाई जा सकती है।
- उपर्युक्त पद पर सेवारत (Working) पदाधिकारी के मामले में दो वर्ष की अवधि या नियमित नियुक्ति होने तक (जो पहले हो) प्रतिनियुक्ति की जायेगी। बाद में राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त होने पर इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

4. सेवानिवृत्त (Retired) पदाधिकारी के लिए

- उपर्युक्त पद पर सेवानिवृत्त (Retired) पदाधिकारी के मामले में नियमित नियुक्ति होने तक अथवा दो वर्ष की अवधि के लिए (जो पहले हो) संविदा पर नियोजन किया जायेगा। बाद में राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त होने पर इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है।
- सेवानिवृत्त (Retired) पदाधिकारी के मामले में प्रथम बार अनुबंध की अवधि ग्यारह माह की होगी। तत्पश्चात् संतोषप्रद सेवा होने पर एवं आवश्यकतानुसार अवधि विस्तार किया जायेगा।
- सेवानिवृत्त (Retired) अभ्यर्थियों के लिए नियोजन हेतु अधिकतम उम्र 65 वर्ष होगी।

5. आवेदन पत्र का प्रारूप, अनुभव, अहर्ता एवं अन्य जानकारियों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के विभागीय वेबसाइट <http://biharboardonline.bihar.gov.in> एवं <http://biharboardonline.com> प्राप्त की जा सकती है।

6. उपाध्यक्ष को कार्यालय आने-जाने के लिए वाहन की सुविधा दी जायेगी।

सचिव

ज्ञापांक...../पटना, दिनांक/2018

प्रतिलिपि : जन सम्पर्क पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ एवं विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सचिव

अनुलग्नक-1

समिति के उपाध्यक्ष पद हेतु सेवारत पदाधिकारी के लिए निर्धारित वेतनमान की सूची

क्र० सं०	पद का नाम	कुल रिक्ति एवं आरक्षण कोटि	वेतनमान	
			अपुनरीक्षित	पुनरीक्षित (7th Pay)
1	उपाध्यक्ष (Vice Chairman)	01-GEN	37400-67000, PB4+GP-8700	Level-13

सेवारत (Working) पदाधिकारी के लिए

- (iii) उपर्युक्त पद पर प्रतिनियुक्ति के मामले में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा बिहार सरकार में सेवारत (Working) राजपत्रित पदाधिकारी को उनके पैतृक विभाग में प्राप्त होने वाला वेतन ही समिति द्वारा देय होगा। प्रतिनियुक्ति होने पर एक माह के अंदर अपने पैतृक विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर समिति में समर्पित करना अनिवार्य होगा। विशेष परिस्थिति में यह अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
- (iv) उपर्युक्त पद पर सेवारत (Working) पदाधिकारी के मामले में दो वर्ष की अवधि या नियमित नियुक्ति होने तक (जो पहले हो) प्रतिनियुक्ति की जायेगी। बाद में राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त होने पर इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

सेवानिवृत्त (Retired) पदाधिकारी के लिए

- (iv) उपर्युक्त पद पर सेवानिवृत्त (Retired) पदाधिकारी के मामले में नियमित नियुक्ति होने तक अथवा दो वर्ष की अवधि के लिए (जो पहले हो) संविदा पर नियोजन किया जायेगा। बाद में राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त होने पर इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है।
- (v) सेवानिवृत्त (Retired) पदाधिकारी के मामले में प्रथम बार अनुबंध की अवधि ग्यारह माह की होगी। तत्पश्चात् संतोषप्रद सेवा होने पर एवं आवश्यकतानुसार अवधि विस्तार किया जायेगा।
- (vi) सेवानिवृत्त ;त्मजपतमकद्ध अभ्यर्थियों के लिए नियोजन हेतु अधिकतम उम्र 65 वर्ष होगी।

आवेदन पत्र का प्रारूप

1	आवेदित पद का नाम	
2	अभ्यर्थी का नाम	
3	जन्म तिथि	
4	आरक्षण कोटि	
5	पिता/पति का नाम	
6	मोबाइल नं० और ई-मेल आईडी	
7	वर्तमान पता	
8	शैक्षणिक योग्यता	
9	अनुभव	
10	सेवारत पदाधिकारी अपना पदनाम, सेवा संवर्ग, पदस्थापन कार्यालय का नाम एवं वेतनमान का विवरण।	
11	सेवानिवृत्त के समय, जहाँ कार्यरत थे या वर्तमान में जहाँ कार्यरत है, उस विभाग का नाम, पदनाम एवं सेवा संवर्ग	

नोट- अभ्यर्थी अपना स्वहस्तलिखित आवेदन देंगे।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर